क्रमांक 1265-2 जी0 एस0 II-73/781

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप-मण्डल अधिकारी हरियाणा ।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 27 मार्च, 73

विषय :—क्लर्कों तथा टाईपिस्टों के पदों के लिए भर्ती ।

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाते हुए यह लिखूं कि कुछ ऐसे उदाहरण देखने मे आए हैं कि विभागाध्यक्ष कलर्कों तथा टाईपिस्टों के पद भरने के लिए अधीनस्थ सेवा प्रवरण मण्डल को अलग-अलग मांग भेजी जाती है । यह प्रथा नियमानुकूल नहीं क्योंकि सेवा नियमों में टाईपिस्टों के अलग संवर्ग की व्यवस्था नहीं है अपितु टाईपिस्टों के पद क्लर्कों के संवर्ग में ही शामिल होते हैं । इसलिए ठीक कार्यविधि यह है कि विभागाध्यक्षों को चाहिए कि वे टाईपिस्टों तथा क्लर्कों की समेकित मांग तैयार करके अधीनस्थ सेवा प्रवरण मण्डल को भेजा करें साथ ही मण्डल को ऐसे पदों की संख्या यदि कोई हो सूचित की जाए जिन्हें हिन्दी या अंग्रेजी टाईप जानने वाले क्लर्कों से भरा जाना हो ताकि तदनुसार भर्ती की जा सके।

2. कृपया इन अनुदेशों को विधिवत अनुपालन के लिए नोट कर लिया जाए तथा अन्य इन्हें सभी अन्य संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाए ।

भवदीय

हस्ता:

संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन,

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति :—

1. सभी वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा
2. सभी प्रशासकीय सचिवों, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता:

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा ।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्र: 1265-2 जी एस-II-73/ दिनांक 27 मार्च, 73